**उत्तर प्रदेश शासन**

**सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-4**

**संख्या-361/2025/870/25-27-सि0-4-124-W-Pari-2024-CN-1831658**

**लखनऊ: दिनांक: 23-07-2025**

**शुद्धि - पत्र**

जनपद बलिया में सरयू नदी के दाँये तट पर स्थित दोहरीघाट सहायक पम्प हाउस के जीर्णोद्वार / सुरक्षात्मक कार्य की परियोजना हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय व्ययक के अनुदान संख्या-94 के लेखाशीर्षक- 4701-08-051-10-14-24 में प्राविधानित बजट धनराशि रू० 115.00 लाख में से धनराशि रू० 29.04 लाख (रूपये उनतीस लाख चार हजार मात्र) को अवमुक्त किये जाने के लिए शासनादेश संख्या-254/2025/341P/25-27-सिO-4-001-124-W-Pari-2024-CN-1831658, दिनांक 20.06.2025 द्वारा निर्गत वित्तीय स्वीकृति के क्रम में अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड-प्रथम, बलिया, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० के पत्र संख्या-1425/सिं०ख०प्र०ब०/धन की मांग, दिनांक 02.07.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें यह अवगत कराया गया है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रश्नगत परियोजना पर व्यय हेतु मांगी गयी धनराशि रू० 29.04 लाख को मैकेनिकल कार्य हेतु अधिशासी अभियन्ता लिफ्ट सिंचाई खण्ड, गोरखपुर के अन्तर्गत खर्च किया जाना है। उक्त धनराशि को कोषागार, जनपद गोरखपुर ( DDO कोड-4815- अधिशासी अभियन्ता लिफ्ट सिंचाई खण्ड, गोरखपुर) से व्यय हेतु आहरित किया जायेगा । अतः उक्त शासनादेश दिनांक 20.06.2025 के पृष्ठांकन में अंकित मुख्य /वरिष्ठ कोषाधिकारी, बलिया, उ०प्र० के स्थान पर वित्तीय स्वीकृति/धनावंटन के साथ व्यय करने हेतु मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, गोरखपुर उ०प्र० को आदेशित करने के लिए उक्त शासनादेश दिनांक 20.06.2025 को इस सीमा तक संशोधित कर शुद्धि-पत्र निर्गत करने हेतु अनुरोध किया गया है।

2. उपर्युक्त के क्रम में जनपद बलिया में सरयू नदी के दाँये तट पर स्थित दोहरीघाट सहायक पम्प हाउस के जीर्णोद्वार / सुरक्षात्मक कार्य की परियोजना हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में धनराशि रू० 29.04 लाख की निर्गत वित्तीय स्वीकृति के शासनादेश सं0- 254/2025/341**P**/25-27-सिO-4-001-124-W-Pari-2024-CN-1831658, दिनांक 20.06.2025 के पृष्ठांकन में अंकित मुख्य /वरिष्ठ कोषाधिकारी, बलिया के स्थान पर मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, गोरखपुर पढ़ा जाए ।

शासनादेश सं0- 254/2025/341**P**/25-27-सिO-4-001-124-w-Pari-2024-CN-1831658, दिनांक 20.06.2025 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये।

**रमा कान्त वर्मा**

**संयुक्त सचिव ।**

*-2-*

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

https://shasanadesh.up.gov.in

**संख्या-361(1)/2025/870/25-27-सि0-4-124-W-Pari-2024-CN-1831658 तददिनांक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम/द्वितीय), उ0प्र0, प्रयागराज।

2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।

3- प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

4- प्रमुख अभियन्ता (परि0 एवं नियो0), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

5- प्रमुख अभियन्ता (परियोजना), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

6- प्रमुख अभियन्ता (यॉत्रिक), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

7- मुख्य अभियन्ता (अग्रिम नियोजन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

8- मुख्य अभियन्ता (बजट), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

9- वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

10- मुख्य अभियन्ता स्तर-।(पूर्व) / मुख्य अभियन्ता (गण्डक), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, गोरखपुर ।

11- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, गोरखपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि शासनादेश संख्या-254/2025/341P/25-27-सि०-4-001-124-W-Pari-2024-CN-1831658, दिनांक 20.06.2025 द्वारा निर्गत वित्तीय स्वीकृति के क्रम में अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें ।

12- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, बलिया ।

13- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-8 / नियोजन अनुभाग-3/ सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-9

14- अनु सचिव,नोडल अधिकारी (लेखा), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन ।

15- गार्ड फाईल।

**आज्ञा से**

**चन्द्र भूषण**

**अनु सचिव ।**

https://shasanadesh.up.gov.in

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।